संख्या : 1368 /सोलह–1–2016–14(28)/2015

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक,
कुलपति,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

2. प्रो0 ओंकार सिंह,
कुलपति,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

3. श्री ओ0पी0 वर्मा,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :31 मार्च, 2016

विषयः–इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सेंटर्स के संचालन हेतु नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1568/सोलह–1–2014–14(4)/2014टी.सी. दिनांक 29.05.2014, पत्र संख्या–1017/सोलह–1–2014–14(4)/2014 दिनांक 27.03.2015, संख्या–2695/सोलह–1–2015–1(12)/2015 दिनांक 11.08.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के आर्थिक संसाधनों से प्रदेश के अभियंत्रण संस्थाओं यथा एच0बी0टी0आई0, कानपुर मे सिविल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आई0ई0टी0 लखनऊ में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर सांइस एवं इनफारमेंशन टेक्नालाजी तथा एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विधाओं में इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के नोडल सेंटर्स की स्थापना की गई है। डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ–साथ ग्रास रूट लेबल के व्यक्तियों/पारम्परिक ज्ञान से संबंधित लोगों, उद्योगों, शोध केन्द्रों, प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थानों और सम्बद्ध कालेजों का एक तंत्र तैयार करके इनोवेशन के संवर्धन में योगदान दिया जाएगा। समय–समय पर इच्छुक तकनीकि शिक्षण संस्थाओं को इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन सेन्टर के रूप में घोषित कर इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–425/सोलह–1–2016–14(28)/2015 दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के सभी इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर्स के अनुश्रवण एवं उनमें परस्पर समन्वय हेतु एक सेल का भी गठन किया गया है। यह समस्त कार्यवाही नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य इनोवेशन सेल के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है। नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–43/2015/1218/35–1–2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 के संलग्नक–3 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए एतद्‌विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त का विवरण दिया गया है।

3. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के क्रियाकलापों एवं तत्क्रम में स्थापित सेन्टर्स के सुचारू संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :—

उद्देश्य

(1) नवीनतम तकनीकी एवं व्यावसायिक विचारों को वास्तविक उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित करना।

(2) कृषि, विज्ञान, सेवाओं, तकनीकी आदि जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं मे नवीनतम अन्वेषण को मूर्तरूप में साकार करना।

(3) शिल्पकारों, बुनकरों, कास्तकारों, मैकेनिकल, बढ़ई, कुम्हार आदि के उपयोगार्थ वैज्ञानिक नवीन अन्वेषण को सुधार कर ऐसे उत्पाद विकसित करना, जो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हों।

(4) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करना।

(5) उपलब्ध क्षमता के अनुसार उद्योगों/अन्य संस्थाओं को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

(6) व्यावसायिक उत्पादन में जाने से पूर्व नव उत्पाद का बाजार परीक्षण एवं उत्पाद के सुधार हेतु तकनीकी Hand Holding सहायता प्रदान करना।

पात्रता

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति/संस्था/उद्योग सम्मिलित हो सकेगे :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित संस्था/उद्योग।

आवेदन की प्रक्रिया

4. इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन कार्यों के संचालन के लिए आवेदक/इच्छुक व्यक्ति/संस्था/उद्योग अपने जनपद में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य (संलग्नक—1 में उपलब्ध सूची के अनुसार), जो तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जनपद समन्वयक होंगे, से सम्पर्क कर उनके समक्ष संलग्नक—2 में अंकित प्रारूप पर अपने विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यह आवेदन राज्य सरकार के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय अभियंत्रण कालेजों के निदेशक (संलग्नक—3 में उपलब्ध सूची के अनुसार) को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

आवेदन प्राप्त होते ही जनपद समन्वयक अथवा सम्बन्धित राजकीय अभियन्त्रण कालेज के निदेशक प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट विचार संख्या (Unique Idea No.) आवंटित करेंगें। Unique Idea No. के प्रथम तीन Cell संलग्नक—1 अथवा संलग्नक—3 (जो लागू हो) के क्रम संख्या होंगे। विचार का विवरण (Unique Idea No.) सहित एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा, जो इस हेतु संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तद्पोरान्त आवेदक को उसके विचार (Unique Idea No.) सहित प्राप्ति की सूचना email तथा SMS से प्रेषित की जायेगी। इस SMS/email में यह भी अंकित किया जाएगा कि आवेदक का विचारों पर बौद्धिक अधिकार है और यदि इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन प्रकिया के बाद विचार किसी व्यावसायिक उपयोग में आता है तो उस विचार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत पर मूल विचार देने वाले व्यक्ति/संस्था का अधिकार होगा। शेष आय इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन संस्था तथा विचारों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्था की होगी।

आवेदन पत्रों के परीक्षण की प्रक्रिया

उक्त रीति से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों को जनपद समन्वयक अथवा राजकीय अभियंत्रण कालेज के निदेशक जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति निम्नवत गठित होगी :—

(1) जनपद में कार्यरत राजकीय अभियंत्रण कालेज के निदेशक — अध्यक्ष
(2) जनपद स्थित राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य (प्रस्तर—3 में उल्लिखित सूची के अनुसार) — समन्वयक
(3) जनपद के इस प्रकार के कार्यों के इच्छुक निजी अभियंत्रण कालेज के निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो सहायक प्रोफेसर से कम न हो — सदस्य
(4) जिला समन्वयक, विज्ञान क्लब — सदस्य

(जनपद में राजकीय अभियंत्रण कालेज न होने की स्थिति में समन्वयक द्वारा स्क्रीनिंग समिति की अध्यक्षता की जायेगी।)

उपरोक्त स्क्रीनिंग समिति आवेदकों/इनोवेटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करेगी एवं परीक्षणोपरान्त प्रस्तावों को जनपद स्थित उपयुक्त डिग्री/पालीटेक्निक स्तरीय संस्था को इनोवेशन/इनक्यूवेशन हेतु संदर्भित करेगी। ऐसी संस्थाओं के परियोजना लेने हेतु सहमत न होने की दशा में संबंधित जनपदीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसे किसी अन्य नजदीकी सक्षम संस्था को भेजा जायेगा। यथा आवश्यकता प्रारम्भिक मूल्यांकन के उपरान्त इनोवेशन/इन्क्यूबेशन प्रस्तावों को जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनोवेटर द्वारा वांछित/प्रस्तावित संस्थान अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित नोडल सेंटर में से सर्वाधिक उपयुक्त को भेजा जा सकेगा।

5. प्रत्येक जनपद के चिन्हित पालीटेक्निक, जो प्रस्तर—3 में वर्णित संलग्नक—1 में उपलब्ध सूची के अनुसार होंगे तथा घोषित नोडल सेन्टर एवं अन्य घोषित इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेन्टरों में संस्था स्तरीय इनोवेशन कोर ग्रुप की स्थापना संबंधित संस्था द्वारा की जाएगी। यह कोर ग्रुप इनोवेशन /इन्क्यूबेशन स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/विचारों का अध्ययन कर अपनी संस्था में प्रस्तावित कार्य को करने की क्षमता को देखते हुए इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी। यदि कोर समिति यह पाती है कि उस संस्था में प्रस्तावित कार्य को नहीं किया जा सकता है तो वह अपना अभिमत स्क्रीनिंग समिति को भेजेगी। स्क्रीनिंग समिति पुनःविचार कर किसी अन्य उपयुक्त संस्था को प्रकरण को कार्यवाही हेतु संदर्भित करेगी।

इस प्रकार संस्था द्वारा कार्य हेतु लिए गए विचार/परियोजना पर इनोवेटर/आवेदक के साथ समन्वय करते हुए उसे अपना पूर्ण सहयोग देगी तथा अभिनव विचार/परियोजना को साकार करने का प्रयास करेगी। संस्था स्तरीय कोर समिति यह भी निर्णय करेगी कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव इनोवेशन अथवा इन्क्यूबेशन में से किस प्रकृति का है। इस हेतु कार्य करने वाले इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेन्टर निम्न प्रकार धनराशि मूल आवेदक से प्राप्त कर सकेंगे:—

क.	मद का नाम	इनोवेशन कार्य हेतु ग्राहय शुल्क	इन्क्यूबेशन कार्य हेतु ग्राहय शुल्क
1	कम्प्यूटर सुविधा	शून्य	रू 1000.00 प्रति कम्प्यूटर प्रति माह
2	प्रिन्टर सुविधा	शून्य	रू 1.00 प्रति पृष्ठ
3	इन्टरनेट सुविधा	शून्य	रू 500.00 प्रति माह
4	लाइब्रेरी	शून्य	शून्य
5	लैब्रोरेट्री सुविधा	शून्य	शून्य
6	अध्यापक/विद्यार्थियों का तकनीकी ज्ञान व उनका सहयोग	शून्य	शून्य
7	संस्था में उपलब्ध स्किल्ड मैन पावर का सहयोग	शून्य	शून्य
8	अन्तर्विभागीय सहायता	शून्य	शून्य

9	विद्युत व्यय	शून्य	वास्तविकता के आधार पर
10	कन्ज्यूमेबिल्स	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
11	स्थान/आफिस किराया (यदि आवश्यक हो)	रु 2.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 500.00 प्रति माह (अधिकतम एक माह)	रु 10.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 2500.00 प्रति माह तथा अधिकतम एक माह हेतु
12	छात्रावास सुविधा	रु 300.00 प्रति माह अधिकतम 01 माह के लिए	रु 500.00 प्रति माह अधिकतम 01 माह के लिए।
13	मेस सुविधा	वास्तविक	वास्तविक
14	अन्य सुविधायें जो संस्था आवश्यक समझे	वास्तविक	वास्तविक

6. परियोजना स्वीकार करने के समय संस्था की कोर समिति, विषय विशेषज्ञ के साथ विचार–विमर्श कर, यह भी निर्धारित करेगी कि परियोजना कितने समय में पूर्ण की जानी चाहिए। प्रत्येक स्वीकार की गयी परियोजना के विषय में निम्न प्रारूप पर मासिक सूचनाएं संस्था के विशेषज्ञ, जिनकी देखरेख में कार्य होंगे, द्वारा प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.02.2016 के अंतर्गत गठित समिति को प्रगति सूचना भेजेगी :–

क्र.	परियोजना का संक्षिप्त नाम	परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है (संलग्न प्रारूप–2 के प्रस्तर–13 में दिये गये कोड संख्या)	इनोवेटर/इन्क्यूबेटर का नाम एवं पता तथा सम्पर्क नम्बर	जनपद स्तरीय नवप्रवर्तन/नवाचार अनुश्रवण समिति द्वारा संस्था को प्रस्ताव प्रेषित करने का दिनांक	संस्था द्वारा परियोजना स्वीकार करने का दिनांक	संस्था द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ का नाम जिसके अधीन परियोजना पर कार्य किया जाएगा	कोर समिति द्वारा परियोजना पूर्ण करने की प्रथम निर्धारित तिथि	प्रगति विवरण एवं टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.02.2016 में वर्णित सेल के निदेशक द्वारा उक्त प्रारूप पर प्राप्त सूचना की समीक्षा की जायेगी तथा उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सेल के निदेशक द्वारा इनोवेशन/इन्क्यूबेशन कार्यों हेतु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सेल द्वारा राजकीय अभियंत्रण कालेजों एवं पालीटेक्निकों के साथ–साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को भी इनोवेशन/ इन्क्यूबेशन कार्य से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिससे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली संस्थाओं की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो सके। विभिन्न संस्थाओं–राजकीय एवं निजी, द्वारा इनोवेशन/इन्क्यूबेशन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों की प्रगति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर समय–समय पर अपलोड किया जाएगा।

इनोवेशन/इन्क्यूबेशन के उक्त प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में टेस्टिंग, प्रोटोटाइप विकसित करने तथा शोध एवं विकास जैसे कार्य करने की आवश्यकता होती है। उनकी इस आवश्यता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की सभी पालीटेक्निक एवं अभियंत्रण संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यों को भी अपनी संस्था में उपलब्ध अवस्थापना/लेबोरेटरी/तकनीकी ज्ञान एवं अन्य सहयोग प्रदान करते हुए सम्पन्न कराया जाए। किसी स्थापित उद्योग द्वारा संस्था में इस प्रकार के कार्यों को करने हेतु आवश्यक संसाधनों/सुविधाओं के उपयोग पर होने वाले व्यय हेतु शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित संस्था द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तय किया जा सकेगा। ऐसे सभी कार्यों की सूचना संस्था के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा

इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेल को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे सेल के निदेशक द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्य सुनिश्चित करायें तथा इस सम्बन्ध में यदि अपने स्तर से कोई नियम अथवा आदेश पूर्व में जारी किये हों तो उन्हें उपरोक्तानुसार संशोधित कर लें। उक्त कार्य करने से जहॉ एक ओर प्रदेश में इनोवेशन/इन्क्यूबेशन को बढ़ावा मिलेगा और नये विचार साकार होंगे, वहीं संस्थाओं में उपलब्ध वृहद संसाधन, आम–जन को उपयोग हेतु प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही संस्थाओं को यह अवसर प्राप्त होंगे कि वह अपने शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य में जीवन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान का प्रयास करें और समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकें।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि धरती से जुड़ी आम आदमी की बहुत सी समस्याओं के कतिपय समाधान अनपढ़ अथवा कम पढ़े लिखे लोग/संसाधन विहीन व्यक्तियों के पास भी होते हैं। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों/विचारों को भी स्क्रीनिंग समिति परीक्षित करें और यदि उसमें सम्भावना दिखती हो तो उसे मूर्त रूप दिया जाए। किसी भी विचार/प्रस्ताव को मात्र इसलिए नहीं निरस्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, कमजोर अथवा संसाधन विहीन व्यक्ति द्वारा दिया गया है।

कृपया इस व्यवस्था का अपनी तथा अपने से सम्बन्धित सभी संस्थाओं की वेबसाइट पर एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार भी करायें ।

भवदीय,
Mukul 31.3.16
(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
6. समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ0प्र0।
7. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/अनुदानित पॉलीटेक्निक, उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य इनोवेशन सेल, योजना विभाग, उ0प्र0।
9. अधिशासी निदेशक, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन (आई0आई0ए0) लखनऊ ।
10. नियोजन अनुभाग–1
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(अक्षय किशोर)
अनुसचिव

संलग्नक–1

प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 से सम्बद्ध जनपदवार विकासोन्मुखी मुख्य राजकीय पालीटेक्निक की सूची

क0 सं0	जिला का नाम	संस्था का नाम
001	लखनऊ	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ
002	गोरखपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर
003	बरेली	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली
004	झाँसी	राजकीय पालीटेक्निक, झाँसी
005	इलाहाबाद	एन0आर0इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी, इलाहाबाद
006	बुलन्दशहर	सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा (बुलन्दशहर)
007	कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर
008	आजमगढ़	सावित्री बाई फुले राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़
009	आगरा	राजकीय चर्म संस्थान, आगरा
010	मिर्जापुर	राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर
011	मुरादाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद
012	बस्ती	राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती
013	गोण्डा	राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा
014	फैजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद
015	महोबा	राजकीय पालीटेक्निक, महोबा
016	गाजीपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर
017	बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर
018	इटावा	राजकीय पालीटेक्निक, इटावा
019	अमेठी	संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर (अमेठी)
020	शाहजहाँपुर	राजकीय पालीटेक्निक, शाहजहाँपुर
021	गाजियाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद
022	कासगंज	राजकीय पालीटेक्निक, सोरों (कासगंज)
023	मैनपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी
024	फतेहपुर	राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर
025	बांदा	राजकीय पालीटेक्निक, बांदा
026	जालौन	राजकीय पालीटेक्निक, उरई (जालौन)
027	देवरिया	राजकीय पालीटेक्निक, देवरिया
028	बदायूँ	राजकीय पालीटेक्निक, बदायूँ
029	बहराइच	राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच
030	प्रतापगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, प्रतापगढ़
031	लखीमपुर खीरी	राजकीय पालीटेक्निक, लखीमपुर–खीरी
032	बाराबंकी	राजकीय पालीटेक्निक, बाराबंकी
033	जौनपुर	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर
034	उन्नाव	राजकीय पालीटेक्निक, उन्नाव
035	फर्रुखाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, फर्रुखाबाद
036	रामपुर	राजकीय पालीटेक्निक, रामपुर
037	हरदोई	राजकीय पालीटेक्निक, हरदोई
038	ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, ललितपुर
039	पीलीभीत	राजकीय पालीटेक्निक, पीलीभीत
040	सहारनपुर	राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर
041	[illegible]	राजकीय पालीटेक्निक, [illegible]

042	सोनभद्र	राजकीय पालीटेक्निक, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
043	मऊ	राजकीय पालीटेक्निक, मऊ
044	अम्बेडकर नगर	छत्रपति शाहूजी महराज रा0पा0 अम्बेडकर नगर
045	भदोही	राजकीय पालीटेक्निक, औराई (संत रविदास नगर) भदोही
046	अमरोहा	महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलाजी, ज्योतिबा फुले नगर
047	हाथरस	महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलाजी, महामाया नगर (हाथरस)
048	चन्दौली	महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलाजी, चन्दौली
049	चित्रकूट	राजकीय पालीटेक्निक, मानिकपुर (चित्रकूट)
050	हमीरपुर	राजकीय पालीटेक्निक, हमीरपुर
051	कौशाम्बी	महात्मा ज्योतिबाफुले राजकीय पालीटेक्निक, कौशाम्बी
052	औरेय्या	बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय पालीटेक्निक, औरेया
053	कन्नौज	मान्यवर कांशीराम राजकीय पालीटेक्निक, कन्नौज
054	सिद्धार्थ नगर	महाकारूणिक तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ नगर
055	श्रावस्ती	तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक, श्रावस्ती
056	बलरामपुर	छत्रपति शाहूजी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर
057	कानपुर देहात	राजकीय पालीटेक्निक, सिकन्दरा, कानपुर देहात
058	एटा	राजकीय पालीटेक्निक, सिकन्दराराव, एटा
059	बलिया	राजकीय महिला पालीटेक्निक, बलिया
060	मुजफ्फरनगर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली (मुजफ्फरनगर)
061	गौतमबुद्ध नगर	कु0 मायावती राजकीय महिला पालीटेक्निक, बादलपुर (गौतमबुद्ध नगर)
062	मेरठ	चौ0मुख्तार सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक, दौराला (मेरठ)
063	कुशीनगर	राजकीय पालीटेक्निक, देवरिया
064	महाराजगंज	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर
065	संत कबीर नगर	राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती
066	अलीगढ़	सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा (बुलन्दशहर)
067	हापुड़	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद
068	मथुरा	राजकीय चर्म संस्थान, आगरा
069	रायबरेली	संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर (अमेठी)
070	सम्भल	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद
071	सीतापुर	राजकीय पालीटेक्निक,शॉहजहॉपुर
072	सुल्तानपुर	संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर (अमेठी)
073	शामली	राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली (मुजफ्फरनगर)
074	वाराणसी	राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी
075	बागपत	चौ0मुख्तार सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक, दौराला (मेरठ)

संलग्नक–2

प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में इनोवेशन/इन्क्यूवेशन हेतु प्रथम बार विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूपः–

1. पूरा नाम : ______
2. आवेदक की आयु : ______
3. आवेदक की शैक्षिक योग्यता : ______
4. आवेदक का व्यवसाय : ______
5. आवेदक का उत्तर प्रदेश में पता : ______
6. पते में अंकित जनपद : ______
7. पते का पिनकोड : ______
8. आवेदक का मोबाइल नं0 : ______
9. आवेदक का अन्य सम्पर्क दूरभाष : ______
10. आवेदक का ई–मेल : ______
11. आवेदन वाले विचार/प्रस्ताव का विषय : ______
12. आवेदक का विचार ______

    कृपया एक टिक ☐✓ करें।

    क– सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण ☐

    ख– गैर सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण ☐

13. विचार विकसित करने से निम्न में से किस क्षेत्र में लाभ होगा :–

विषयः	कोड संख्या
अ– कृषि	1
ब– ऊर्जा	2
स– मशीन पर कार्य की सुगमता बढ़ाना	3
द– जल	4
य– प्रक्रिया का सरलीकरण	5
र– सुरक्षा	6
[illegible]– पर्यावरण की सुरक्षा	[illegible]
[illegible]	8

संलग्नक—3

शासकीय अनुदानित / राजकीय अभियन्त्रण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	कालेज का नाम
01A.	एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
02 A.	बी0आई0ई0टी0, झांसी ।
03 A.	के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर ।
04 A.	यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर ।
05 A.	आई0ई0टी0, लखनऊ ।
06 A.	मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (आवासीय)
07 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर ।
08 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़ ।
09 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बॉदा ।
10 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर ।
11 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज ।
12 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी ।
13 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र ।